

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.07.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार ने 02, थाना कोतवाली मनकापुर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती सुनीता पत्नी संगमलाल निवासी पण्डितपुरवा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 235/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना को०मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बृजलाल पुत्र कुने निवासी ग्राम पेरीपोखर भटहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 248/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.07.2022

मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी अभियुक्त मो०नसीम उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त दिनांक 20.06.2022 को वादी समयदीन पुत्र स्व ननकऊ नि० तेदुआ भगत थाना मोतीगंज गोण्डा की साइकिल जय नरायण चौराहा से चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मो०नसीम उर्फ राजा पुत्र निशार निवासी चढनीया सोनीगुमटी थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०—457/22, धारा 379, 411, 419, 420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम:—

उ०नि० प्रतीक पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 21.07.2022

**मिशन शक्ति अभियान के तहत नाबालिक लडकी को
बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म कर धर्मपरिवर्तन कराने का
दबाव देने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 128/2022 धारा 363, 366, 376 भादवि व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट व 3/5 धर्म संपरिवर्तन अधि0 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाले एक नाबालिक लडकी को बहला-फुसलाकर ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. अरसान उर्फ गोलू पुत्र मो0 सोफियान निवासी चकिया रोड रुपईडीहा थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 128/2022 धारा 363, 366, 376 भादवि व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट व 3/5 धर्म संपरिवर्तन अधि0 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पाण्डेय मय टीम थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।